संख्याः— 156 /7—1—2005—500(826)/2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह ,
सचिव ,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में ,

1. समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव ,
   उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ,
   उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी ,
   उत्तरांचल।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांकः सितम्बर 09, 2005

विषयः— वन भूमि पर दी गई लीज़ों के नवीनीकरण तथा नई लीज़ों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज़ रेन्ट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन भूमि पर स्थाई/दीर्घकालीन एवं अस्थाई/ अल्पकालीन लीज़ें स्वीकृत की गई थीं। दीर्घकालीन लीज़ें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती थीं व अल्पकालीन लीज़ें स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती थीं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के उपरान्त कालातीत लीज़ों के नवीनीकरण एवं नई लीज़ों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

2. वर्ष 1979 से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लीज़ों के लिए प्रत्येक वृत्त में अलग—अलग दरों से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जाता था व इन दरों में एकरूपता नहीं थी। लीज़ रेन्ट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या—6450/14—3—930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 जारी किया गया, जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृति की जाने वाली लीज़ों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिये जाने का प्राविधान है। उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरम्भ में लीज़धारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज़ रेन्ट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

3. पूर्व में चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने तथा छोटे लीज़धारकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि पर दी गई लीज़ों के नवीनीकरण तथा नई लीज़ों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :—

3.1 लीज़ों का नवीनीकरण :

3.1.1 पेयजल, सिंचाई, गूल, घराट, पंचायत घर, रास्ता एवं स्कूल जैसे सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5.00 वार्षिक लीज़ रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

i. एक हेक्टेअर तक लैण्ड होल्डिंग के लिए रू0 15.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

ii. लीज़धारक जिनके पास एक हेक्टेअर से अधिक वन भूमि लीज़ पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा अर्थात

$$\text{वन भूमि का मूल्य(प्रीमियम)} = \text{जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य} \times \frac{\text{लीज़ अवधि}}{99}$$

3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी, गोशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

i. लीज़धारक जिनके पास एक नाली (दो सौ वर्ग मीटर) तक वन भूमि लीज़ पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 20.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

ii. लीज़धारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज़ पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.4 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी गई लीज़ों के नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का पॉच प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीज़ों का नवीनीकरण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया जायेगा :

(i) किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल या ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उस पन्थ के श्रद्धा/विशेष स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सके, को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा।

(ii) जिन लीज़धारकों द्वारा लीज़ का व्यवसायिक उपयोग (पूर्ण एवं आंशिक) किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामलों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 20 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्यान, मृदा एवं जल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुड़े गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीज़ों का नवीनीकरण रूपया एक प्रति एकड़ वार्षिक लीज़ रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.2 नई लीज़ें :

3.2.1 भविष्य में सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज़ पर नहीं दी जायेगी।

3.2.2 उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की भाँति पंचायती राज संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज़ पर दी जायेगी।

3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों एवं पैदल मार्गो के निर्माण हेतु रू0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रू0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर– 3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 को छोड़कर विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्न लीज़ों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा :

i) जल विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु।

ii) जलाधारित उद्योगों यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु।

iii) वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि लीज़ पर दी जायेगी , जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित उपक्रमों/संस्थाओं को बरीयता दी जायेगी।

iv) राज्य में वैकल्पिक ईंधन एवं ऊर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं/संयत्रों की स्थापना हेतु एक एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तरांचल शासन द्वारा वन भूमि को लीज़ दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.3 उल्लंघन/अतिक्रमण के मामले :

3.3.1 लीज़धारक जिनके द्वारा भू–उपयोग में परिवर्तन कर वन भूमि का उपयोग लीज़ के मूल प्रयोजन से इतर कार्यों हेतु किया जा रहा है अथवा लीज़ की शर्तों का उल्लंघन किया गया है,

ऐसे लीज़धारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिए जाने के अतिरिक्त, प्रीमियम का पॉच गुना धनराशि दण्ड स्वरूप ली जायेगी।

3.3.2 जिन लीज़धारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज़ नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

3.3.3 लीज़ पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीजधारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीज़ों को नवीनीकृत नहीं किया जायेगा तथा वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा।

3.4 विविध :

3.4.1 लीज़ नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीजधारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एवं लीज़ रेन्ट की धनराशि ज़मा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों को पुनः निर्णीत/खोला (reopen) नहीं जायेगा।

4. शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 एवं शासनादेश संख्या–666/14–2–600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः– 156 /7–1–2005–500(826)/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
4. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव